

न्यायालय श्रीमान् सस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर सफिट

कोर्ट रीवाम०प्र०

624
28/9/12



र. 3791-I/12

वैशरी धरकार: बसोर: तनय मोखम धरकार निवासोधरसडा, पो० पतरो,

तहो चित्तरी जिला सिंराली म०प्र० --- आवेदक निगराकार

वनाम

- 1- रामाधार धरकार तनय कैराधरकार |
- 2- ब्रामतो सुल्तानोदेवो पत्नी प्राणनाथ वैस्वार | स्त्री निवासीगणग्राम
- 3- प्रेमलाल वंस्वार तनयरामखेलावन वैस्वार | धर सडा तहो चित्तरी जिला सिंराली म०प्र०

--- अनावेदकगण

निरानी विरुद्ध आदेश क्ले० सिंराली

दिनांक 4-9-12 बावत प्रकरण क्रमांक

95 निगरानो 11-12

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूरजस्व संहिता

सन 1959ई०

संदीप मे तथ्य

मूमि खसरानो 130/2 का जुज रक्वा 1-40 है० स्थित ग्राम धरसडा तहसील चित्तरी जिला सिंराली पर आवेदक का पुस्तनीमकान आवाडी आवादी निस्तार वाग बगीचाकुर्वा व शेषभाग पर हतो कर कब्जा था जिसका उल्लेख राजस्व अभिलेखी मेमी वर्ष 1987-88 केवाद के अभिलेखी मे था

रजनीश धरकार
पता 691
28/9/12
AS

37
27/12

M

Handwritten signature


Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3791-I/12

जिला-सिंगरौली

केशरी धरकार/ रामाधार धरकार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 95/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	<p> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>